फैक्स/अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/मा0 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण/

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

बी0एन0लहरी मार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या-26/2013

दिनांक लखनऊ:मई 31 ,2013

सेवा में,

समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, इकाई, उ0प्र0।
समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0।
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका(सिविल) संख्या-265/2011, अभिषेक गोयनका बनाम भारत सरकार व अन्य में दिनांक 27.04.2013 एवं 03.08.2012 को निर्णय पारित करते हुए वाहनो के शीशों पर किसी भी प्रकार की काली फिल्म व अन्य कोई पदार्थ चिपकाने को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार (Right to Life) दिया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णय जीवन के अधिकार को गम्भीरता से लेते हुए अपराध की रोक-थाम हेतु दिशा-निर्देश दिए गये है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अंकित किया है कि अपराधी गम्भीर प्रकृति के अपराध जैसे-डकैती, बलात्कार, स्त्रियों के प्रति हिंसा, लूट, अपहरण आदि जैसी घटनायें कारित करने और उसके उपरान्त वाहनों के शीशों पर लगी काली फिल्म अथवा अन्य पदार्थ चिपके होने के कारण पहचान छिपाते हुए भागने में सफल हो जाते है और नाकेबन्दी/पुलिस चेकिंग के दौरान उनकी ठीक से तलाशी और पहचान आदि में कठिनाई आती है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी तथ्य अंकित किया है कि विश्व में दुर्घटनाओं से जो मृत्यु हो रही है उसमें से सबसे ज्यादा मृत्यु भारत वर्ष में हो रही है तथा इन दुर्घटनाओं का मख्य कारण यह भी है कि वाहनों के शीशे पर काली फिल्म चढ़ी रहती है जिससे रात्रि में चालकों को वाहन चलाते समय स्पष्ट दिखाई नही पड़ता है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के नियम 100 की विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए यह अवधारित किया है कि **No black film or any other material can be pasted on the windscreens and side glasses of a vehicle. We prohibit the use of black films of any VLT percentage or any other material upon the safety glasses, windscreens(front and rear) and side glasses of all vehicles throughout the country.**

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि

We make it clear at this stage that we would not initiate any proceedings against the Director Generals of Police/Commissioners of Police of the respective State/Union Territories but issue a clear warning that in the event of non-compliance of the judgment of this Court now, and upon it being brought to the notice of this Court, the Court shall be compelled to take appropriate action under the provisions of the

Contempt of Courts Act. 1971 without any further notice to the said officers.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि ब्लैक फिल्म के प्रतिबन्धित किये जाने से कुछ लोगों को असुविधा हो सकती है लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा जनकल्याण(Public-Welfare)को सर्वोच्च कानून मानते हुये और व्यक्तिगत हित को इसके अधीन मानते हुये ब्लैक फिल्म आदि को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा इन निर्णयों के संबंध में पूर्ण जानकारी अपने अधीनस्थों को गोष्ठी तथा कार्यशाला आयोजित कर एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से दें जिससे मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना न हो।

आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना होने पर आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

(देवराज नागर) 31-5-13
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर-प्रदेश।